67/2013

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A12/1

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 67/13

विनोद कुमार पुत्र श्री बृज लाल जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0सादुलशहर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1.मेहरचन्द पुत्र श्रीराम गोदारा जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पं. सं0 सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 68/13

1.रघुवीर पुत्र श्री गुरदयालराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1.राजवन्ती पत्नी श्री दयाराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पं. सं0 सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 70/13

1. रघुवीर पुत्र श्री गुरदयालराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर।
2. सुरेश पुत्र श्री रघुवीर जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1.ओमप्रकाश पुत्र श्री श्रीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पं. सं0 सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 71/13

1. साहबराम पुत्र श्री सही राम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर।
2. पृथ्वी राम पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1.बृजलाल पुत्र श्री श्रीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पं. सं0 सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व पट्‌टा ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी भूखण्ड सं0 बी/82,बी/84,बी/85 एवं बी/83 दिनांक 19–3–91

उपस्थित : श्री बलराम स्वामी, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2

आदेश **दिनांक : 22 अगस्त, 2016**

उपर्युक्त चारों निगरानियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है क्योंकि चारों निगरानियों की विषयवस्तु एक समान है।

(1) निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 67/13

उक्त निगरानी के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा एक पट्‌टा दिनांक 25–9–97 को बी/3 व बी/4 निगरानीकर्ता को आवंटित किया गया था, जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 1 को कभी भी विधि अनुकूल निगरानीकृत अहाता सं0 बी/82 का आवंटन नहीं हुआ था और न ही पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न मौके का नक्शा बनाया गया था। अप्रार्थी सं0 1 राजनैतिक प्रभाव रखता है। अप्रार्थी सं0 1 आवंटन करवाने का भी अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई पट्‌टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित अहाता सं0 बी/82 का पट्‌टा निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(2) निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 68/13

उक्त निगरानी के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा एक पट्टा दिनांक 25–9–97 को बी/4 व बी/8 निगरानीकर्ता को आवंटित किया गया था, जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 1 के पति को कभी भी विधि अनुकूल निगरानीकृत अहाता सं0 बी/84 का आवंटन नहीं हुआ था और न ही पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न मौके का नक्शा बनाया गया था। अप्रार्थी सं0 1 का पति राजनैतिक प्रभाव रखता है। अप्रार्थी सं0 1 का पति आवंटन करवाने का भी अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 के पति को ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित अहाता सं0 बी/84 का पट्टा निरस्त किया जावे।

(3) निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 70/13

उक्त निगरानी के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा एक पट्टा दिनांक 25–9–97 को एक भूखण्ड निगरानीकर्ता को आवंटित किया गया था, जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 1 को कभी भी विधि अनुकूल निगरानीकृत अहाता सं0 बी/85 का आवंटन नहीं हुआ था और न ही पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न मौके का नक्शा बनाया गया था। अप्रार्थी सं0 1 राजनैतिक प्रभाव रखता है। अप्रार्थी सं0 1 आवंटन करवाने का भी अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित अहाता सं0 बी/85 का पट्टा निरस्त किया जावे।

(4) निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 71/13

उक्त निगरानी के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा भूखण्ड सं0 बी/2 व बी/6 दिनांक 25–9–97 को निगरानीकर्ता को आवंटित किया गया था, जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 1 को कभी भी विधि अनुकूल निगरानीकृत अहाता सं0 बी/83 का आवंटन नहीं हुआ था और न ही पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न मौके का नक्शा बनाया गया था। अप्रार्थी सं0 1 राजनैतिक प्रभाव रखता है। अप्रार्थी सं0 1 आवंटन करवाने का भी अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित अहाता सं0 बी/83 का पट्टा निरस्त किया जावे।

उक्त निगरानियों के संबंध में ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का रेकार्ड मंगवाया गया। सरपंच, परमजीतकौर ने अपने पत्र कमांक 9–4–14 में उल्लेखित किया है कि कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 19–3–91 पुलिस थाना सादुलशहर में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जमा है। रसीद बुक व आवंटन पत्रावली उसके पास उपलब्ध नहीं है। पक्षकार के अधिवक्ताओं ने लिखित बहस पेश की तथा उनको सुना गया।

उपर्युक्त निगरानियों में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक आपतियों यथा – निगरानी में निगरानीकृत आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है तथा निगरानी अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है, के संबंध में दोनों पक्षों को सुनने एवं लिखित बहस पर मनन करने के उपरांत दिनांक 12–8–16 को उक्त दोनों विधिक आपतियों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उपरोक्त चारों निगरानियों की लिखित बहस में कथन किया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी द्वारा अप्रूव्ड नक्शा जो पंचायत समिति, सादुलशहर से जारी किया गया है, में निगरानीकर्ता का प्लाट सं0 बी/3 व बी/7 ,बी/8 ,बी/4 ,बी/2 व बी/6 दर्शाया गया है जबकि अप्रार्थी का प्लाट सं0 बी/82 ,बी/84 ,बी/85 एवं बी/83 उक्त नक्शे के बाद से फर्जी नक्शा बनाकर उसमें हाथ से इन्द्राज किया गया है। इसी दौराने उक्त प्लाटों की जॉच विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा एक कमेटी गठित करके निगरानीकर्ता के प्लाट सं0 बी/3 व बी/7 ,बी/8 ,बी/4 ,बी/2 व बी/6 को सही मान कर जॉच की गई है जबकि अप्रार्थी के प्लाट सं0 बी/82 ,बी/84 ,बी/85 एवं बी/83 के संबंध में उक्त रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये प्लाट उक्त चक नक्शा में फर्जी तरीके से हाथ से ट्रेस किए गए हैं। निगरानीकर्ता को आवंटन नियमानुसार किया गया है जबकि अप्रार्थी को निगरानीकृत प्लाट सार्वजनिक सड़क व सार्वजनिक जगह में फर्जी तरीके से, उक्त प्लाटों को नक्शे में हाथ से दर्शाकर प्लाट बना कर मिलीभगत करके पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकृत भूखण्ड ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना कोई प्रस्ताव पारित किये, बिना प्रमाणित नक्शा, उक्त जगह नहीं होते हुए, निगरानीकृत भूखण्ड जारी किये गये हैं। भूखण्ड सं0 बी/82 से बी/85 जो हाथ से ट्रेस किये गये हैं जो नक्शे के अनुसार नई आबादी, पुरानी आबादी के बीच की जगह है, से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा रेकार्ड में हेरा फेरी करके आवंटन किये गये हैं। इस संबंध में एफ आई आर भी दर्ज करवाई गई है, जिसका मुकदमा न्यायालय में लंबित है। ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तौर पर नक्शे में हाथ से प्लाट बना कर अलॉट किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। अप्रार्थी सं0 1 निगरानीकृत भूखण्ड को आवंटन करवाने का अधिकारी नहीं था। निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड की जगह व अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूखण्ड की जगह अलग–2 है। ग्राम पंचायत द्वारा कानून की अवहेलना में नई व पुरानी आबादी के बीच के स्थान को जो आवंटन योग्य नहीं थी, को आवंटन किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर भूखण्ड सं0 बी/82, बी/84, बी/85 एवं बी/83 को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कहा है कि अप्रार्थी मेहरचन्द के पक्ष में भूखण्ड सं0 बी/82, अप्रार्थिया राजवन्ती के पति दया राम को भूखण्ड सं0 बी/84, अप्रार्थी ओमप्रकाश को भूखण्ड सं0 बी/85 एवं अप्रार्थी बृजलाल को भूखण्ड सं0 बी/83 का आवंटन दिनांक 19–3–91 को अप्रार्थी सं0 2 सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी

किया गया है, जिसपर अप्रार्थी द्वारा चारदीवारी बनाकर अपना कब्जा किया हुआ है। निग0 कर्ता द्वारा निगरानी के पैरा सं0 2 ता 4 में गलत तथ्य अंकित करवाये हैं। अप्रार्थी के उक्त भूखण्ड व अन्य भूखण्ड सं0 बी/83, बी/84, बी/85 के उपर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के साथ सांठ गांठ करके दिनांक 25–9–97 को भूखण्ड सं0 बी/82 से लेकर बी/113 तक के भूखण्डों की स्थिति बदल कर इनके स्थान पर भूखण्ड सं0 बी/1 से बी/33 अंकित कर दिया गया और अप्रार्थी के भूखण्डों का दुबारा आवंटन करवा लिया जिसके संबंध में निगरानी सं0 37 से 40/13 विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरणों में प्रस्तुत नक्शों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ताओं को जो आवंटन किया गया था, वह गलत है और अप्रार्थी का आवंटन सही है। आबादी के नक्शा व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 262 दिनांक 3–9–13 जो पुलिस थाना सादुलशहर में दर्ज हुई थी, जिसके अनुसंधान के दौरान थानाधिकारी, पुलिस थाना, सादुलशहर द्वारा ए0बी0एम0 इन्जीनियरस से मौका का ले आउट प्लान तैयार करवाया गया था, जिसका मूल्याकंन करने से स्पष्ट है कि विवादित स्थल के सामने भूखण्ड सं0 बी 90–91–92–93 स्थित है। इन प्लाटों में इनके मालिकों द्वारा निर्माण भी कर रखा है। भूखण्ड सं0 बी96 व बी97 में आदराम पुत्र निकूराम , अमी लाल पुत्र निकूराम का मकान बना हुआ है। थानाधिकारी द्वारा तफतीश के दौरान मंगाए गए ले आउट प्लान का मिलान ग्राम पंचायत के सन् 1984–95 के ले आउट प्लान से करने पर भूखण्ड सं0 बी90 व बी91 के सामने भूखण्ड सं0 बी82 व बी83 स्थित होना पाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा ले आउट प्लान से छेड़छाड़ करते हुए गलत तरीके से निगरानीकर्ता के हक में भूखण्ड सं0 बी/3 व बी/7, बी/4व बी/8, बी/2 व बी/6 अंकित करते हुए विधि विरूद्व तरीके से आवंटन किया गया है । दिनांक 25–9–97 को आवंटन करते समय ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा भूखण्ड सं0 बी/82 से बी/113 की पट्टी को उठाकर नीचे स्थापित कर दिया गया यानि भूखण्ड सं0 बी/82,बी/83, बी/30, बी/31, बी/98, बी/99, बी/106, बी/107 की पट्टी भूखण्ड सं0 बी/88, बी/89, बी/96, बी/97, बी/104, बी/105, बी/112, बी/113 के उपर स्थापित कर दिया व इसके आगे अन्य भूखण्डों को क्रमशः बी/84, बी/85, बी/92, बी/93, बी/100, बी/101, बी/108, बी/109 को स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1991 में आवंटित भूखण्डों की स्थिति को बदल दिया गया और नक्शा में कॉटछॉट करते हुए पुनः दिनांक 25–9–97 को निगरानीकर्ता को गलत रूप से आवंटन कर दिया गया, जिसमें कुछ आवंटनों को पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अप्रार्थी का आवंटन कभी सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक जगह पर नहीं है बल्कि आबादी भूमि पर है। निगरानीकर्ता गलत तरीके से अप्रार्थी के उक्त आवंटन को रंजिशवश व राजनैतिक द्वेष भावना के कारण निरस्त करवाना चाहता है। अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायाधीश क0ख0 सादुलशहर द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है, मौका पर स्थगन प्रभावी है इसलिए उक्त निगरानी माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को 22 वर्ष बाद बेदखल करना न्यायसंगत नहीं है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2005(2) पेज 1026 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सव्यय खारिज

Lonio

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फरमाई जावे तथा ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का आदेश दिनांक 19–3–91 की पुष्टि की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त निगरानियों के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण मेहरचन्द, राजवन्ती के पति दयाराम, ओमप्रकाश एवं बृजलाल को ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा दिनांक 19–3–91 को आवंटित किए गए भूखण्ड सं0 बी/82, बी/84, बी/85 एवं बी/83 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सादुलशहर के न्यायालय द्वारा विविध दिवानी प्रकरण सं0 19/13, 17/13, 18/13 एवं 20/13 के प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के प्रकरण में दिनांक 25–2–16 को आदेश पारित कर " मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष वाद पत्र में अंकित (वादग्रस्त भूखण्ड सं0 बी/82, बी/84, बी/85 एवं बी/83) वादग्रस्त भूखण्ड ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखे। उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करें या अन्य प्रकार कोई परिवर्तन ना करें। **माननीय न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया है कि प्रकरण में विवादित पट्टों के संबंध में सक्षम न्यायालय में चल रही कार्यवाही के संबंध में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।** "

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 37/13 से 40/13 जिसमें ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा निगरानीकर्ता मेहरचन्द, ओमप्रकाश, बृजलाल एवं राजवन्ती के पति दयाराम को दिनांक 19–3–91 को भूखण्ड सं0 बी/82, बी/84, बी/85 एवं बी/83 विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए आवंटन किये गये हैं, जिनकी पुष्टि ग्राम पंचायत के रेकार्ड से भी होती है, में इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर भूखण्ड सं0 बी/82, बी/84, बी/85 एवं बी/83 को विधिसम्मत माना जाकर अप्रार्थीगण विनोद कुमार,रघुवीर एवं साहबराम वगैरा को दिनांक 25–9–97 को किया गया आवंटन विधिविरूद्व एवं अवैध माना गया है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्तागण की निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 22–8–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)